जलमार्ग प्राधिकरण के प्रावधान मंजूर

06 विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव सदस्य होंगे

- उपाध्यक्ष पद पर जल परिवहन से संबंधित अनुभव वाले को वरीयता

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। प्रदेश के परिवहन आयुक्त प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंगे। कैबिनेट ने गुरुवार को प्राधिकरण के गठन से संबंधित प्रावधानों को मंजूरी दी।

इसके तहत प्राधिकरण के संगठन में अध्यक्ष के पद पर मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित कर सकते हैं या फिर अन्तर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेवीगेशन, पोर्ट्स या मेरीटाइम अफेयर्स से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त कर सकते हैं। उपाध्यक्ष के पद पर अन्तर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेवीगेशन, पोर्ट्स या मेरीटाइम अफेयर्स से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एवं प्रोफेशनल अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्ति की जाएगी।

वित्त, लोक निर्माण, परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव-प्रमुख सचिव प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे। एक अन्य सदस्य भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रतिनिधि होगा, जिसे आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूर किए गए उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 में प्राधिकरण के निर्बाध संचालन, उसकी शक्तियों एवं कार्यों के बारे में प्रावधान किया गया है।